पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर बांय

अनुवान नेक मोहम्मद बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या – 190 / 2025

निर्णय दिनांक 26/6/2025

नेक मोहम्मद पुत्र ज्यानी खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी बांय तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर बांय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 700 खसरा सं. 547 तादादी 1.9347 हैक्ट., खसरा नं. 673 तादादी 11.4311 हैक्ट., खसरा नं. 774 तादादी 4.2361 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम बांय में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम नेकी पुत्र ज्यानी जाति कुम्हार (प्रजापति) दर्ज है जो कि गलत है सही नाम नेक मोहम्मद पुत्र ज्यानी खां जाति मुसलमान कुम्हार है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम नेक मोहम्मद पुत्र ज्यानी खां जाति मुसलमान कुम्हार किये जाने की अभिशंषा की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम बांय तहसील तारानगर के खाता संख्या 700 खसरा सं. 547 तादादी 1.9347 हैक्ट., खसरा नं. 673 तादादी 11.4311 हैक्ट., खसरा नं. 774 तादादी 4.2361 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम नेकी पुत्र ज्यानी जाति कुम्हार (प्रजापति) Delete कर इसके स्थान पर नेक मोहम्मद पुत्र ज्यानी खां जाति मुसलमान कुम्हार अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/6/2025 को कैम्प कोर्ट बांय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)